तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी / कोलो / 4088 / 2023 / जिला जैसलमेर श्रीमती फातमा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
18-8-2023	**एकल–पीठ** **डॉ. राकेश कुमार शर्मा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मोहम्मद रमजान, अभिभाषक प्रार्थी । श्री खुर्शिद अनवर, उपराजकीय अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–229 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की एकल पीठ द्वारा निगरानी संख्या 11413 / 2007 में पारित आदेश दिनांक 11–7–2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत आवंटन सलाहकार समिति एवं आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया जिसे आवंअन सलाहाकार समिति आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन नियमों के तहत जांच कर आवंटन अधिकारी उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर ने प्रार्थीया को आवंटन का पात्र नहीं होना मानते हुए उसका आवंटन प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 31–7–1999 के द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थिया ने प्रथम अपील 8 साल बाद मियाद बाहर न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर के समक्ष पेश की गई। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी, जैसलमेर ने अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर प्रकरण प्रार्थिया को सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन जैसलमेर को रिमाण्ड करने के आदेश दिनांक 07–2–2007 पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर राज्य सरकार द्वारा निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई। निगरानी प्रस्तुत होने पर मंडल की एकल पीठ ने आदेश दिनांक 11–7–2023 द्वारा स्वीकार की गई। जिससे व्यथित होकर यह नजरसानी प्रार्थिया श्रीमती फातमा द्वारा मंडल में प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी / कोलो / 4088 / 2023 / जिला जैसलमेर श्रीमती फातमा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रार्थिया राजस्थान सद्भावी भूमिहीन किसान है जो कि आवंटन की पात्रता रखती है। माननीय एकलपीठ द्वारा आदेश 41 नियम 03 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को इग्नोर करते हुए त्रुटिपूर्णय आदेश पारित किया गया जो शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय एकलपीठ के विद्वान सदस्य द्वारा केवल मात्र प्रार्थी सरकार होने के कारण ही विवादग्रस्त निर्णय पारित किया है प्रार्थिया ने आवंटन हेतु दिनांक 31–7–1999 को प्रार्थिया ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत भूमिहीन किसान होने के कारण आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिया पिछले 24 सालों से केवल मात्र आवंटन की पात्रता बाबत जांच करने हेतु चाराजोही की जा रही है। माननीय सदस्य द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच तक नहीं करवायी जा रही है जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर पुनः पात्रता की जांच करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2023 विरोधाभासी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थिया ने आवंटन हेतु दिनांक 19–10–1994 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया उक्त प्रार्थना पत्र पेश किये हुये करीबन 29 साल हो चुके है। मण्डल की एकलपीठ ने प्रकरण की नोयत को बिना समझे विवादग्रस्त निर्णय पारित किया गया है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा मण्डल की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 11–7–2023 को निरस्त किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी जैसलमेर के निर्णय दिनांक 07–2–2007 को यथावत रखा जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि अभिभाषक प्रार्थिया ने वही तथ्य उठाये है जो उन्होने दौरान बहस निगरानी में उठाये थे। नजरसानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा मंडल की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि उजागर नहीं है, जिसमें नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः नजरसानी खारिज की जावे। उभय की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा मंडल के आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थिया के अभिभाषक द्वारा हमारे समक्ष वही तथ्य दोहराये गये है जो निगरानी के समय बरवक्त बहस उठाये गये थे। विद्वान अभिभाषक हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य स्पष्ट नहीं कर पाये कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी / कोलो / 4088 / 2023 / जिला जैसलमेर श्रीमती फातमा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

मंडल की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्टयां अभिलेख पर दिखाई देने वाली ऐसी कोनसी त्रुटि है जिसके आधार पर वह एकल पीठ के पारित निर्णय में नजरसानी के माध्यम से हस्तक्षेप कराना चाहते है। प्रार्थी पक्ष द्वारा वर्तमान नजरसानी प्रार्थनापत्र में जो तथ्य एवं आधार लिये गये हैं वे सभी तथ्य एंव आधार प्रार्थी की नजरसानी को स्वीकार कराने हेतु सहायक सिद्ध नहीं हो सकते।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई. आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ–455 ''श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी'' में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

> "Review- 'Error apparent on face of record' - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005 (1) RRT 545 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> “A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous.”

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ 290 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> “In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between ‘an erroneous decision’ and ‘an error apparent on the face of the record.’ While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise.”

इस प्रकार नजरसानी बाबत समय समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज नजरसानी निगरानी/ कोलो/4088/ 2023/ जिला जैसलमेर श्रीमती फातमा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। नजरसानी द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकलपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थिया हमारे समक्ष आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि अथवा नया तथ्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलौच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही नजरसानी का आधार हो सकती है अन्यथा नहीं और ऐसा निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–7–2023 गलत (erroneous) है तो गलत निर्णय को भी नजरसानी का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करना चाहिये। नजरसानी एक ओर अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती। उपरोक्त आलोक में आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल–पीठ द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही नजरसानीधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है। अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है। निष्कर्षतः नजरसानी प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। **(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	